झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यूपी (सी) 1013/2017

घनश्याम मंडल, पिता- स्व. रिझो सुंडी, ग्राम स्टेशन रोड, सरिया अंचल, थाना-सरिया, पोस्टि-सरिया, जिला-गिरिडीह .....याचिकाकर्ता/वादी

बनाम

1. नंदलाल मंडल, पिता- स्व. निर्मल मंडल, निवासी- राय तालाब, सरिया, पोस्ट एवं थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह

2. नागेश्वर मोदी, पिता- स्व . पाटीराम मोदी, निवासी- स्टेशन रोड, सरिया अंचल, थाना-सरिया, पोस्ट -सरिया, जिला- गिरिडीह

3. कामेश्वर मंडल, पिता- स्व. धानी मंडल, ग्राम- बलीडीह सरिया, पोस्ट.- सरिया अंचल, थाना-सरिया, जिला- गिरिडीह

4. भवानी मंडल, पिता- स्व. गुली मंडल, बलीडीह, सरिया, पोस्ट -सरिया अंचल, थाना-सरिया, जिला गिरिडीह

5. सत्यदेव प्रसाद, पिता- स्व. हरखू महतो, ग्राम- चंद्र मोरनी, पोस्ट -सरिया अंचल, थाना-सरिया, जिला गिरिडीह

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : -

04/26.11.2018 याचिकाकर्ता स्वत्व वाद सं. 101/2014 के वादी हैं। वे 09.08.2016 के उस आदेश से व्यथित है, जिसके तहत XXVI नियम 9, सीपीसी के आलोक में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो वाद भूमि पर वादी के अधिकार, हक, हित और कब्जे की घोषणा हेतु डिक्री के लिए 2014 का स्वात्वा वाद संख्या 101 संस्थित किया गया है। यद्यपि यह कोई वैकल्पिक प्रार्थना नहीं है, तथापि वादी ने अदालती कार्यवाही के माध्यम से वाद भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए भी प्रार्थना की है। वादपत्र के माध्ययम से दूसरी राहत मांगी गई है कि प्रतिवादियों और उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों के द्वारा वाद भूमि को बेचे जाने पर रोक लगाई जाए।सीपीसी आदेश X के तहत वाद पर कार्यवाही होने पहले, वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी वाद भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण वादी के साथ-साथ आम जनता के लिए उक्तर भूमि का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। और इस हेतु उन्होंने सीपीसी के आदेश XXVI के नियम 9 के तहत एक सर्वेक्षण जानकार प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन भी दायर किया था। दिनांक 17.04.2015 के आवेदन के पैरा सं. 4 में, वादी ने अंकित किया है कि प्रतिवादी उक्त. वाद भूमि को बेचने के लिए तैयार हैं, जो उसके कब्जे में है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ताव श्री अनिल कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि वादपत्र के प्रकथन और सीपीसी के आदेश XXVI नियम 9 के तहत आवेदन में लगाए गए आरोप को ध्यान में रखते हुए, वाद भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाना आवश्यक था।

4. सीपीसी के आदेश XXVI के नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि जिस विवाद की समुचित जांच न्यायालय द्वारा संभव न हो,उस मामले पर स्पष्टी करण के लिए यदि न्यायालय चाहे, तो एक आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है, जो विवाद के मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वादी के कब्जे वाली वाद भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के आरोप से वादपत्र में वांछित निषेधाज्ञा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी, प्रतिवादियों तथा उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों के द्वारा वाद भूमि बेचे जाने पर रोक लगाने के की मांग कर रहा है।इसके अितरिक्ती, वाद का प्राथमिक मुद्दा यह नहीं है कि प्रतिवादी,

वाद भूमि का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। प्राथमिक मुद्दा वाद भूमि पर वादी के अधिकार, स्वामित्व, हित और कब्जे की घोषणा का है।केवल इतना ही नहीं, वादी ने न्यायालय की कार्यवाही के माध्यम से वाद भूमि के कब्जे की घोषणा के लिए प्रार्थना की है। वह यह अभिवचन नहीं कर सकता कि प्रतिवादी वाद भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं।वाद प्रारंभिक चरण में है और जैसा कि उल्लिखित है, अभी तक आदेश X सीपीसी के तहत कार्यवाही नहीं की गई है।वाद के मुद्दों का निपटान अभी नहीं गया है और आदेश XXIX के नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत आवेदन भी स्वीकार किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों को ध्या न में रखते हुए, विचारण न्यायाधीश ने सीपीसी के आदेश XXVI नियम 9 के तहत आवेदन को खारिज करके सही किया है।

5. दिनांक 09. 08. 2016 के आक्षेपित आदेश में कोई कमी नही पाई गई और इसलिए यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)

तनुज/-